

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938

No. 371]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. 35/2016-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 548 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2011- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 24खक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 354/40/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2016-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा सा.का.नि. 209(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2016

No. 35/2016-Customs

G.S. R. 548 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely :-

In the said notification, in the Table, serial number 24BA and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No.354/40/2016 -TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note.- The principal notification No.27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011 and last amended *vide* notification No.15/2016-Customs, dated the 1st March, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 209(E), dated the 1st March, 2016.